न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

9

निगरानी प्रकरण कमांक 4024–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–16 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 पचौर तहसील पचौर जिला राजगढ प्रकरण कमांक 30/अ–12/2015–16.

श्रीलाल पिता भवरलाल
निवासी ग्राम सुल्तानिया धाना
तहसील पचौर जिला राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

नारायण सिंह आत्मज पूरालाल
निवासी ग्राम सुल्तानिया धाना
तहसील पचौर जिला राजगढ़ .....अनावेदक

श्री अखिलेश तिवारी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 पचौर तहसील पचौर जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम सुल्तानिया स्थित सर्वे कमांक 1049 रकबा 6.644 एवं सर्वे कमांक 1050 रकबा 0.632 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक तहसील पचौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 30/अ–12/15–16 दर्ज कर दिनांक 22–6–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर

नहीं दिया गया है, और मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि जब राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शे में भिन्नता होने से वरिष्ठ कार्यालय से सीमांकन कराये जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया था, तब उनके द्वारा स्वयं ही सीमांकन करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी प्रतिवेदन को आधार मानकर एक ही दिन में सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही की सूचना मेढ़िया काश्तकारों को नहीं दी गई है । यह भी कहा किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक से निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर सीमांकन कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 24–6–16 को तहसीलदार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि सीमांकन कार्यवाही के दौरान नक्शे में भिन्नता होने के कारण वरिष्ठ स्तर से सीमांकन कराया जाये । इसके बावजूद भी दिनांक 22–6–16 को राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वयं ही कैसे सीमांकन सम्पन्न मानकर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया । स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 पचौर तहसील पचौर जिला राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–16 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर